1

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्र./शिक्षा शाला 2क/74/2016/ 347 — भोपाल दिनांक 6/1/17

--: आदेश :--

मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12–20/2016/25–2/1329 दिनांक 16.09.16 द्वारा 04 संभागीय मुख्यालयों भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं शहडोल में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु (आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) गुरूकुलम विद्यालयों कक्षा 6 से कक्षा 12 वीं की स्थापना की गई है। शासन आदेश क्रमांक एफ12–20/2016/25–2/1319 दिनांक 16.09.16 द्वारा उपरोक्त विद्यालयों के लिए पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। संभागीय मुख्यालय में सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम अंतर्गत स्वीकृत गुरूकुलम विद्यालय का संचालन प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार विभागीय प्राचार्यों को अपने कार्य के अतिरिक्त आगामी आदेश तक गुरूकुलम विद्यालय के प्रथम श्रेणी प्राचार्य का कार्यभार सौंपा जाता है।

क्र.	संभागीय गुरूकुलम विद्यालय	प्राचार्य का नाम	वर्तमान पदस्थापना
1	इंदौर	श्री एम.मैथ्यू	प्राचार्य विशेष पिछड़ी जनजाति आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय इंदौर
2	भोपाल	श्री सुधीर श्रीवास्तव	सहायक संचालक, कार्यालय संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास भोपाल
3	जबलपुर	श्रीमति अनिता वई	प्राचार्य एकलव्य आवासीय विद्यालय जबलपुर
4	शहडोल	श्री बी.एम. तिवारी	प्राचार्य एकलव्य आवासीय विद्यालय शहडोल

1. राज्य शासन के क्रमांक एफ12–20/2016/25–2/1329 भोपाल दिनांक 16.09.2016 द्वारा स्वीकृत गुरूकुलम विद्यालय संचालन नियम (संलग्न) अनुरूप संचालन किया जाए।
2. सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम के विद्यालयों के लिए नवीन सत्र 1 अप्रैल 2017 के पूर्व एफिलेएशन की कार्यवाही की जाए।
3. बालक एवं बालिकाओं के आवास की व्यवस्था निर्धारित की जाए।
4. विद्यालय संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों का पेनल 1 अप्रेल के पूर्व तैयार किया जाए।

संबंधित प्राचार्य विद्यालय प्रबंधन समिति तथा संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास भोपाल एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल के नियंत्रण में कार्य करेंगें।

Attested

(दीपाली रस्तोगी)
आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

PRINCIPAL
Govt Gurukulam Residential School
Rampur, Chhapar, Jabalpur
Dise Code-23390222027

C:\Users\Public\gurukulam.doc

2

पृ.क्र. / शिक्षा शाला 2क / 74 / 2016 / 348 भोपाल दिनांक 6/1/17

1. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल।
2. संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश शासन भोपाल, इंदौर, जबलपुर एंव शहडोल ।
3. कलेक्टर जिला भोपाल, इंदौर, जबलपुर एंव शहडोल ।
4. संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास संभाग भोपाल, इंदौर, जबलपुर एंव शहडोल की ओर लेख है कि गुरूकुल्लम विद्यालयों की संचालन की समस्त कार्यवाहीयां तथा प्रबंधन समिति की बैठक समय सीमा में सुनिश्चित करें।
5. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला भोपाल, इंदौर, जबलपुर एंव शहडोल की ओर लेख है कि संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास एवं गुरूकुलम विद्यालयों के प्राचार्यो के बीच समन्वय कर संचालन की समस्त कार्यवाहीयां समय सीमा मे सुनिश्चित करें।
6. संबंधित प्राचार्य श्री.................................... प्राचार्य / सहायक संचालक....................................... को निर्देशित किया जाता है गुरूकुलम विद्यालयों के संचालन की समस्त कार्यवाहीयां संचालन नियम अन्तर्गत समय सीमा मे पूर्ण करें। विद्यालय का सी.बी.एस.ई पाठ्यकम में ऑनलाईन एफिलिएशन हेतु एप्लाई कर हार्ड कापी कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत करें।
7. शिक्षा स्थापना शाखा आयुक्त आदिवासी विकास मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. निज सचिव, आयुक्त आदिवासी विकास मुख्यालय भोपाल।

Attested

आयुक्त
आदिवासी विकास
o/c मध्यप्रदेश

PRINCIPAL
Govt Gurukulam Residential School
Rampur, Chhapar, Jabalpur
Dise Code-2339022202

C:\Users\Public\gurukullam.docx @ 25